विद्यालय शिक्षा निदेशालय

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
फतेहाबाद।

यादि कमांकः 10/14–2019 पी0एस0 (1)
दिनांक, पंचकूला :–

विषयः निम्नलिखित निजि शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थाई मान्यता (फार्म–II) हेतु प्राप्त मामला, जिला अराजकीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी से निरीक्षण करवाने बारे।

–0–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपके जिले से सम्बन्धित निजि शिक्षण संस्था की ओर से प्राप्त स्थाई मान्यता (फार्म–II) (आटर्स, कामर्स व विज्ञान संकाय) प्रदान करने हेतू जो मामले निदेशालय में प्राप्त हुआ है उनकी निम्नानुसार मूल फाईल (संलग्न) भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि इन विद्यालयों का निरीक्षण जिला अराजकीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी से करवाने उपरान्त, स्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को 30 दिन के अन्दर–2 भिजवाने का कष्ट करें, ताकि इन मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फाईल पेज मार्क हो तथा चैक लिस्ट भरकर साथ संलग्न की जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित 2009 के नियम 38 तहत विद्यमान मान्यता प्राप्त/मान्यता प्राप्त समझे गए विद्यालय जो 30 अप्रैल 2003 से पहले चल रहे है को विभाग से कोई नई मान्यता या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना होगा। यद्यपि वे राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छः मास के भीतर विभाग द्वारा यथाविहित प्ररूप में अभिलेख के उद्देश्यों के लिए उनकी भूमि तथा भवन को सम्बन्ध में विवरणियां प्रस्तुत करेगें। उक्त नियम के तहत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त विद्यालयों को डीम्ड मान्यता प्राप्त समझते हुए मामले का निरीक्षण किया जाए। अतः मामले का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को भेजे।

DAV Cent. Public School, Balran Road, Jakhal, Fatehabad

Class 1st to 10th

नोटः– निरीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट भेजी जाए, जिसमें कमरे, बरामदे, सीढ़ियां, रैम्प तथा खेल के मैदान का आकार स्पष्ट लिखा होना चाहिए तथा वीडियोग्राफी की सी0डी0 व फोटोग्राफी करवाकर भेजी जाये व भूमि से सम्बन्धित दस्वातेज Revenue authority से Certify copy व DTC/MC द्वारा जारी NOC, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, साफ सफाई का प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा प्लैज मनी Verify करने उपरान्त केस के साथ भेजी जाये, एक पूर्ण कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में भी रखें। इसके अतिरिक्त मामले में दस्तावेजो की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना अति आवश्यक है।

–Sd/–
उप अधीक्षक पी.एस.
कृतेः निदेशक सेकैण्डरी शिक्षा
हरियाणा,पंचकूला।
दिंनाक, पंचकूला :–

पृष्ठांकन कमांक –सम–

इसकी एक प्रति प्रबन्धक, **DAV Cent. Public School, Balran Road, Jakhal, Fatehabad** को सूचनार्थ प्रेषित है।

13/12/19